कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर

संख्या 541 /23–निविदा सूचना/न0पा0प0गा0/2015–16 दिनांक 05/1/16

अल्पकालीन निविदा सूचना

1– नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यो की सीलबन्द निविदा दिनांक–18/1/2016 को समय– 12:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 18/1/2016 को समय 3:30 बजे सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 13/1/16 को प्रातः 12:00 बजे से 5:00 बजे तक कमांक–4 पर स्थित स्थानों पर निर्धारित शुल्क जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदायें प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राप्त और खोली जायेगी। निर्माण कार्य की धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रायकृत बैंक का जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गाजीपुर के नाम बन्धक रहेगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

2–

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र शुल्क+वैट 4 प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	विशेश्वरगंज पेट्रोल पम्प से मिश्रबाजार तिराहे तक सड़क के दोनो तरफ ढक्कनदार नाले का निर्माण	13.82	1.382	1435	फरवरी 2016
2	मिश्रबाजार तिराहे से लालदरवाजा तक बायी पटरी पर ढक्कनदार नाले का निर्माण	19.75	1.975	2055	"
3	मिश्रबाजार तिराहे से लालदरवाजा तक दायी पटरी पर ढक्कनदार नाले का निर्माण	19.75	1.975	2055	"
4	सकलेनाबाद गर्ग ट्यूब एजेन्सी से महुआबाग चौराहे तक ढक्कन युक्त नाला का निर्माण	23.249	2.349	2550	"
5	मिश्रबाजार शंकरजी मन्दिर के पास पुलिया निर्माण	3.30	0.330	365	"
6	मिश्रबाजार शंकर जी मन्दिर से जी0जी0आइ0सी0 रोड महुआबाग चौराहे तक ढक्कनदार नाले का निर्माण	24.09	2.409	2600	"
7	झिगूरपट्टी के नई बस्ती में घनश्याम गुप्ता के घर से बहादुर के घर तक सड़क के उत्तरी पटरी पर ढक्कनयुक्त नाले का निर्माण	16.77	1.677	1750	"
8	झिगूरपट्टी में रामबचन कुशवाहा के घर से त्रिलोकी कुशवाहा(लकड़ी वाले की दुकान) तक नाले का निर्माण एवं ट्यूवेल से त्रिलोकी कुशवाहा के दुकान तक ढक्कन का निर्माण	24.319	2.432	2530	"
9	जमलापुर में सागर कुशवाहा(पोखरा) से आर0एन0 बिल्डिंग मैटेरियल(मेन सड़क) तक ढक्कनयुक्त नाली का निर्माण	8.171	0.817	855	"
10	सिचाई विभाग चौराहा से शास्त्री जी के मूर्ति के पीछे पुलिया तक सड़क के पश्चिमी पट्टी	22.53	2.253	2340	"

5/1/16

	पर ढक्कनयुक्त नाले का निर्माण				
11	शास्त्रीनगर में विनोद तिवारी के मकान से श्रीमती नन्दकुमारी के घर तक ढक्कनयुक्त नाले का निर्माण	5.17	0.517	540	,,
12	ददरीघाट में कमलेश श्रीवास्तव(पूर्व सीाासद) के मकान से संजय पलम्बर(प्रा0पा0ददरीघाट के पीछे) तक पक्के नाले को ऊचाकर ढकने का कार्य एवं संजय पलम्बर के घर से श्रीमती राधिका देवी के घर तक ढक्कनयुक्त नाला निर्माण	19.419	1.942	2020	,,
13	डिगीकालेज वार्ड में मेनरोड(पी.जी0 कालेज) पर सुदामा यादव के मकान से पी0ज0 कालेज मेनरोड से पहले पुलिया तक नाले का निर्माण।	21.267	2.127	2220	,,
14	गोराबाजार मे ताहिर वकील के घर से पुलिस लाईन गेट तक सड़क के दक्षिणी पटरी पर नाले का निर्माण	6.205	0.621	650	,,
15	आई0टी0आई0 चौराहा से कैप्टन मिश्रा के घर तक सड़क के दक्षिणी तरफ नाले का निर्माण	5.036	0.504	520	,,
16	बड़ीबाग में फुल्लनपुर मार्ग तिराहे के पास पुलिया(मेन लंका गेट के सामने से) पुरानी चुंगी घर तक सड़क के उत्तरी पटरी पर ढक्कनयुक्त नाले का निर्माण।	15.105	1.511	1570	,,

3– यह निविदा जिला मुख्यालय के वेवसाइड www.ghazipur.nic.in पर देखी व पढी जा सकती है

4– शासनादेश संख्या–609/नौ–9–2007–249जा/06 दिनांक 26.02.2007 के कम में पॉच लाख रू0 के ऊपर की निविदा की बिक्री एवं जमा किये जाने की कार्यवाही चार स्थानों– कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर, कार्यालय– उपजिलाधिकारी सदर गाजीपुर, कार्यालय–प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, गाजीपुर, एवं कार्यालय– जिलाधिकारी, गाजीपुर में किया जायेगा। रू0 5.00 लाख से नीचे की निविदा की बिकी, जमा करने एवं खोलने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी नगर पालिका परिषद गाजीपुर द्वारा की जायेगी।

5– प्रत्येक निविदा के साथ जैसा कि धरोहर धनराशि कालम संख्या–4 में दर्शाया गया है, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगे सम्बन्धी जैसा कि लेखाकार, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अधिकारी, सदस्य, अध्यक्ष/प्रशासक के पद पर आसीन होगें, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में कार्यरत रिश्तेदारों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7– ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/राजपत्रित अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूरे नही हुए है, को कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। ऐसे अधिकारियों को ठेकेदार अपने यहाँ सेवा पर नही रख सकते है।

8– निविदा प्रपत्र अथवा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियों, ड्राईंग कार्यो की बिल आफ क्वालिटी के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से निविदा विकय के कार्य दिवसों में प्रातः 11:00 बजे से 4:00 बजे तक देखी जा सकती है।

9– निविदा के साथ अलग लिफाफे(टेक्निकल बीड) में मूल प्रति टी–4, टी–5, टी–6 एवं कालम संख्या–4 में निर्धारित धनराशि का धरोहर ध्धनराशि एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। सर्वप्रथम यही लिफाफा खोला जायेगा। इन प्रपत्रों के अपूर्ण होने पर(वित्तीय बीड) निविदा की दरें नही खोली जायेगी। टी–4 की वैधता निर्गत तिथि से दो वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

10– सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

11- अपराधिक इतिहास वाले निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

12- उ0प्र0 बार काउन्सिल में पंजीकृत व्यक्ति निविदा क्रय नहीं कर सकते है।

13- समस्त कार्य लो0नि0वि0 की विशिष्टयों के अनुरूप कराये जायेगें।

14- निविदा डालने के पूर्व निविदादाता को कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें। बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

15- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रत्येक निविदादाता को श्रम नियमों के अन्तर्गत अपना व अपने श्रमिकों का प्रत्येक कार्यवार अलग-अलग श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर देना अनिवार्य होगा। तभी उनको कार्य कराने की अनुमति दी जायेगी।

16- निविदा की दरें विभागीय दर से कम डालने की स्थिति में शासनादेश सं0- 624/23-12-2012-2-आडिट/2008 टी.सी. दिनांक- 08-06-2012 के अनुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध गठित करने के पूर्व लिया जायेगा।

17- कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

18- यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिये कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका है कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पायेगा तो सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगेगा। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्रायः ऐसा किया जा रहा है तो गुण-दोष (Merit) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सकारण आदेश जारी करके निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर दी जायेगी।

19- यदि ठेकेदार द्वारा अनुमानित लागत से अधिक दरें दी जाती है तो भी उनको विस्तृत विवरण सक्षम प्राधिकारी को देना होगा। अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी एवं धरोहर धनराशि जब्त कर दी जायेगी।

20- शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार देय छूट दी जायेगी एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश का समय-समय पर पालन करना समस्त ठेकेदार का दायित्व होगा।

21- अन्य नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र व साथ संलग्न रहेगी।

यह नगर आपका है। कृपया इसे स्वच्छ रखें।

जयप्रकाश सिंह यादव
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

अरूण कुमार (I.C.S.)
प्रशासक
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।